<u>विमान/हेलीकॉप्टर के इंजिन, पुर्जो तथा अन्य उपकरणों की व्यवस्था संबंधी नियम, 1999</u>

मध्यप्रदेश शासन

विमानन विभाग

मंत्रालय

<u>अधिसूचना</u>

भोपाल, दिनांक 01 जनवरी, 2000

क्रमांक एफ 9–22–98–पैंतालीस.–राज्य शासन, मध्यप्रदेश के लिये विमान/हेलीकॉप्टर के इंजिन, पुर्जो तथा अन्य उपकरणों की व्यवस्था संबंधी निम्नानुसार नियम बनाता है :–

1. नाम एवं उददेश्य :

ये नियम विमान/हेलीकॉप्टर के इंजिन, पुर्जो तथा अन्य उपकरणों की व्यवस्था संबंधी नियम, 1999 कहलायेंगे.

2. क्रय करने संबंधी नियम :

1. हेलीकॉप्टर अथवा विमान के पुर्जें अथवा स्पेयर्स, निर्माता/वेंडर अथवा उसके भारत स्थित अधिकृत प्रतिनिध से ही क्रय किये जायेंगे.

2. विमान/हेलीकॉप्टर के लिये पुर्जे/उपकरण के क्रय तथा ओव्हरहाल के लिये आवश्यक प्रस्ताव संबंधित इंजीनियर द्वारा तैयार किये जाकर संचालनालय के चीफ इंजीनियर/गुणवत्ता नियंत्रक क्यू.सी.एम. के माध्यम से संचालक विमानन को प्रस्तुत किये जावेंगे. निम्न वर्गीकरण के अनुसार प्रस्ताव तैयार किये जावेंगेः–

   अ. हार्ड टाईम आईटम
   ब. आन कंडीशन आईटम
   स. कन्ज्यूमेबल आईटम्स

3. विमान/हेलीकॉप्टर के लिये उपकरण/यंत्र जिनकी निर्धारित आयु होती है, के ओव्हरहाल/जांच मरम्मत के लिये आवश्यक प्रस्ताव कम से कम 6 माह पूर्व तैयार कर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाकर अनुमोदन लिया जावेगा.

3. क्रय समिति का गठन एवं कार्यवाही :

1. संचालनालय में खरीदी के लिये विचार कर निर्णय लेने हेतु एक समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता हैः–

1.	संचालक विमानन	अध्यक्ष
2.	चीफ इंजीनियर	सदस्य
3.	यंत्री (मे./रे.)	सदस्य

4. विमान/हेलीकॉप्टर का एक वरिष्ठ पायलट सदस्य
5. प्रशासकीय अधिकारी/लेखाधिकारी सदस्य सचिव

2. क्रय की जाने वाली सामग्री की आवश्यकता एवं औचित्य को देखते हुये समिति सामग्री क्रय करने की अनुशंसा करेगी.
3. समिति की बैठक कम से कम प्रत्येक तीन माह में एक बार आयोजित की जायेगी.
4. कमेटी क्रय से संबंधित अन्य आनुशांगिक मुद्दों जैसे हेण्डलिंग चार्जेज का निर्धारण आयात करने संबंधित बिन्दुओं का परीक्षण कर राज्य शासन को अनुशंसा कर सकेगी.

4. पुर्जे या उपकरण किराये पर प्राप्त करना एवं किराये पर देनाः

1. नियम 3 '1' के अंतर्गत गठित समिति विमान/हेलीकाप्टर के संचालन को दृष्टिगत रखते हुये, किसी ऐसे उपकरण, जो महानिदेशक नागरिक उड्डयन के निर्देशानुसार अथवा अन्यथा आवश्यक हो, को निर्माता/अधिकृत प्रतिनिधि/वेंडर अथवा अन्य किसी आपरटेर शासकीय एवं गैर शासकीय से किराये पर लिये/दिये जा सकेंगे.
2. उपकरणों को किराये पर लेने/देने की शर्तों का निर्धारण उक्त समिति के द्वारा किया जायेगा.
3. समिति यथासंभव किराये पर उपकरण लेने एसं देने के समय तथाकथित उपकरण की उपलब्धता, आवश्यकता इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में किराये की दर तय कर सकेगी.

5. वित्तीय अधिकारः

समिति द्वारा की गई अनुशंसा, विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये क्रय की जाने वाली सामग्री के लिये रूपये 50,000/— तक के वित्तीय अधिकार संचालक, विमानन को होंगे, रूपये 50,000/— से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय प्रस्ताव होने पर, संचालक उक्त समिति के कार्यवाही विवरण के साथ अपना प्रस्ताव राज्य शासन को स्वीकृति के लिये भेज सकेंगे, जिस पर राज्य शासन के अनुमोदन के उपरांत क्रय करने की कार्यवाही की जा सकेगी.

6. पंजी संधारणः—

1. क्रय किये गये पुर्जों/उपकरणों से संबंधित अभिलेख/पंजियों का नियमानुसार डी.जी.सी के निर्देशानुसार संधारण संचालनालय द्वारा किया जावेगा.

2. संचालक विमानन, पुर्जों प्रदायक संस्था/उपकरणों के ओव्हरहाल करने वाली संस्था से, लिखित में करार निष्पादित करेंगे.

3. पुर्जों के क्रय, स्टाक इत्यादि का प्रतिवर्ष दो बार सत्यापन/जॉच किया जावेगा. सत्यापन दल में कोष एवं लेखा सेवा के संचालनालय में पदस्थ अधिकारी नामांकित होंगे.

4. विशेष परिस्थितियों में संचालक विमानन अपने स्वविवेक के आधार पर पुर्जों के क्रय/उपकरणों के ओव्हरहॉल के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही कर सकेंगे और मामला कार्योत्तर अनुमोदन के लिये क्रय समिति के समक्ष रखेंगे. ऐसे पूर्जे/उपकरण जिनकी आवश्यकता नहीं होगी, वे विवरण नियमित रूप से तैयार कर, उनके निष्पादन की कार्यवाही की जावेगी.

5. अनुपयोगी पुर्जो/उपकरणों की नीलामी प्रत्येक वर्ष में निविदायें आमंत्रित कर की जावेगी इसके लिये उपरोक्त बिन्दु क्र. 3 में उल्लेखित समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा.

6. नियम 3 (1) के अंतर्गत गठित समिति निवर्तन किये गये जाने वाले पुर्जें /उपकरणों के आफसेट मूल्य का निर्धारण, उसका उपयोग जीवन, वर्तमान स्थिति क्रेता के लिये उपयोगिता एवं सभी आनुषंगिक तथ्यों पर विचार करेंगी.

निर्वचन : यदि उपरोक्त नियम के अनुगमन में कोई कठिनाई है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा.

ये नियम 1 जनवरी, 2000 से प्रभावशील होंगे.

(आर.एन.बैरवा)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,